भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2079
जिसका उत्तर शुक्रवार, 01 अगस्त, 2025 को दिया जाना है

सुरक्षा संबंधी कानूनों का दुरुपयोग

2079. श्री कुलदीप इंदौरा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), विधिविरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (यूएपीए) और नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) जैसे कठोर कानूनों का इस्तेमाल आजकल छात्रों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिससे देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे है ;

(ख) क्या इन कानूनों के तहत कई लोगों को बिना सुनबाई के वर्षों तक जेल में रखा जाता है, जिससे संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार प्रभावित होता है ;

(ग) यदि हाँ, तो उक्त कानूनों के तहत बिना दोषसिद्धि के विभिन्न जेलों में बंद लोगों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का इन कानूनों की समय-समय पर समीक्षा करने और केवल अत्यंत गंभीर मामलों में ही इनका उपयोग करने के लिए कोई ठोस नीति या दिशानिर्देश बनाने का विचार है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (घ) : गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए), 1980 कतिपय मामलों में निवारक निरोध का उपबंध करता है और केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आदेश देने का अधिकार देता है, यदि वे संतुष्ट हों कि ऐसी निरोध भारत की रक्षा, भारत की सुरक्षा, राज्य की

सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक कृत्यों को रोकने के लिए आवश्यक है।

जम्मू और कश्मीर नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 कतिपय मामलों में निवारक निरोध का उपबंध करता है। प्रत्येक निरोध उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उचित और भौतिक आधार पर आधारित होना अपेक्षित है । पुनर्विलोकन के लिए उक्त अधिनियम के अधीन समीक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), 1967 देश में आतंकवाद और विधि विरुद्ध क्रियाकलाप से संबंधित मामलों से निपटने के लिए प्रमुख विधिक व्यवस्था है और यह मुख्य रूप से राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता की रक्षा के लिए आवश्यक है। यह विधि प्रवर्तन अभिकरणों को आतंकवाद और विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल या उनका समर्थन करने वाले व्यक्तियों और संगठनों की जांच करने और उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार देता है। अधिनियम की धारा 45 के अधीन, यथास्थिति, कोई भी न्यायालय केंद्रीय या राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के अधीन निरुद्ध की अधिकतम अवधि निरुद्ध किए जाने की तारीख से बारह महीने है। यूएपीए मामलों के संबंध में, दोषसिद्धि न्यायिक प्रक्रिया का एक परिणाम है जो मुकदमे की अवधि, साक्ष्य के मूल्यांकन और साक्षियों की परीक्षा जैसे कारकों पर निर्भर करती है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 और नागरिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए), 1978 के अधीन वर्तमान में निरुद्ध किए गए व्यक्तियों की संख्या से संबंधित डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए अपराध के आंकड़ों को संकलित करता है और उसे अपने वार्षिक प्रकाशन क्राइम इन इंडिया में प्रकाशित करता है।

****